IN THE COURT OF BOARD OF REVENUE M.P. AT GWALIOR

(67)

R. 764-III/2004

APPLICANT - Mst. Phoolmati wife of late Parasu Ram Shukla Aged about 68 years, Occupation Agriculture R/o Village Babupure Tahsel Hazur, District Rewa, M.P.

V/S

NON APPLICANT- Ramayan Prasad S/o late Parasu Ram Shukla Aged about 40 years, Occupation Agriculture and Service R/o Village Babupure Tahsil Hazur, District Rewa, M.P.

द्वारा आज दि. 24/6/04 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
24 JUN 2004

Revenue revision V/s 50 of the land Revenue Code 1959 against The Judgement and order of Additional Commissioner Rewa, District Rewa M.P., Dated 20.5.04 in revenue revision No. 51/Rivision/ 2003-2004

Respected Sir,

The grounds of revision are as follows :-

1. That the learned Ad. Commissioner Rewa has erred in law and facts and has arrived at wrong conclusion.

2. That the discussions, observation and order under revision stand vitiated.

3. That the laerned Ad. Commissioner has not applied the correct law obtaing on the subject.

4. That the entire case has been approached with a wrong angle evidence has been either misread or

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 764–तीन/2004 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28 –11–2016	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 20–5–2004 में पाते हुये कि अपर कलेक्टर ने विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर भी रखा तथा विचारण न्यायालय को निर्देश भी दिये हैं कि दानपत्र पर सुनवाई व पर्याप्त साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया जाये। चूंकि विचारण न्यायालय में दानपत्र पर किसी प्रकार का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है मात्र आपत्ति का निराकरण किया गया है इसलिए अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ किया है कि उभय पक्ष की सुनवाई कर प्रकरण निराकरण गुण–दोषों के आधार पर करें। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों को अपना पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवचेना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	